तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री समीर अहमद व श्री रमजान मौहम्मद, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29–9–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया अपीलांट ने एक राजस्व वाद इस्तकरारहक, बंटवारा व हुक्मइम्तनाईदवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी बाडी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुल किता 18 रकबा 19 बीधा 5 बिस्वा वादीया अपीलांट के पिता तेजसिंह व उनके भाई प्रतिवादी सं.1 रधुवीरसिंह की बहिस्सा बराबर कब्जाकाश्त की आराजी थी। वादीया के पिता के देहांत के बाद विवादित आराजी में उसका 1/2 हिस्सा था, जिस पर वह काबिजकाश्त चली आ रही है। प्रतिवादी उसके कब्जेकाश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी ने जवाब एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादीया का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 2–1–03 द्वारा वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29–9–05 द्वारा स्वीकार करते परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर दिया तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में वादीया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय को निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रस्तुत किया, वह वाद की श्रेणी में नहीं आता। तथाकथित वसीयत से सबंधित जिन विभिन्न गवाहान के बयान करवाये उसमें विभिन्नता है। सभी के बयान वसीयत के बारे में अलग अलग है। रामचरणसिंह वसीयत के मुख्य गवाह ने भी वसीयत अपने सामने निष्पादित होना नहीं माना है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 अनुसार वसीयत को साबित करना आवश्यक है। तेजसिंह वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति के सबंध में अपीलीय अधिकारी ने कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया। तथाकथित वसीयत फर्जी होकर उसे संदेह से परे साबित नहीं किया गया। काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने से प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये समग्र विवेचन एवं विश्लेषण के साथ वादी अपीलांट का वादी स्वीकार कर डिक्री किया था एवं प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज करते हुये अपीलांट वादीया को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय नियमों से परे होना मानकर निरस्त कर दिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजी के खातेदार तेजसिंह वादीया अपीलांट के पिता ने दिनांक 29–10–94 को पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी सं.2 के हक में तहरीर की है। वसीयत के आधार पर वे विवादित आराजी पर काबिज है। वसीयत को चुनोति नहीं दी गई है। वसीयत को निरस्त अथवा फर्जी घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। जब तक वसीयत को सिविल न्यायालय से फर्जी घोषित नहीं करवा लिया जाता तब तक वसीयत अस्तित्व में रहकर वैध मान्य होगी। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दिखाई देने वाली विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रकरण में मृतक तेजसिंह के द्वारा मोहनसिंह के नाम निष्पादित वसीयत दिनांक 29–10–94 प्रदर्श ए–1 का अवलोकन किया गया। उक्त वसीयत में पंक्ति सं.30 पर नारायनसिंह का नाम टंकित है जिसमें नारायन काट कर मोहन लिखा गया है तथा इसी प्रकार पंक्ति सं.33 में ''नारायन'' की जगह दो बार कटिंग कर मोहन का नाम लिखा गया है। उक्त समस्त कटिंग पर वसीयतकर्ता तेजसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त तीनों कटिंग पर अमरसिंह परमार एड.वादी के लघु हस्ताक्षर है जिनके द्वारा वसीयत को ''ड्राफ्ट वाइ'' के स्थान पर हस्ताक्षर किये है। वसीयत के अटेस्टिंग गवाह के रूप में होतम व रामचरण की अंगूठा निशानी अंकित है। डीडब्ल्यू–4 रामचरण ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि उक्त वसीयत की अमरसिंह एड0 ने लिखी पढी की थी तथा धौलपुर में टाईप हुई थी। वसीयत कराने के लिये रामचरण स्वयं, तेजसिंह, होतम व मोहनसिंह सर्वप्रथम बसेडी गये परंतु स्टांप नहीं मिलने पर धौलपुर गये तथा वहां पर ही उसके सामने तेजसिंह ने स्टांप खरीदे थे। तेजसिंह ने वसीयत पर हस्ताक्षर धौलपुर में किये थे तथा उसी दिन हम धौलपुर से वसीयत तैयार करवाकर बसेडी आये तथा फिर हम गावं चले आये। तेजसिंह ने वसीयत पर धौलपुर में हस्ताक्षर किये तब मोहनसिंह मौजूद था तथा उसी दिन अमरसिंह एड0 नोटेरी ने अपनी मोहर लगाकर मेरे सामने प्रमाणित की थी। डीडब्ल्यू–1 का जिरह में कथन है कि वसीयत पर मेरे सामने कोई काटपीट नहीं हुई थी। अतः वसीयत में पंक्ति सं.30 व 33 मेंमें की गई कटिंग की पुष्टि डीडब्ल्यू द्वारा अटेस्टिंग गवाह के रूप में नहीं की गई है। उसक द्वारा जिरह में यह भी कथन किया है कि वह धौलपुर में किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता है। जबकि वसीयत के प्रथम पृष्ट की पुश्त पर गोपाल नारायण शर्मा एडवोकेट द्वारा ''Identified Tej Singh on behalf of the petitioner Ramcharan" अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त स्थिति पूर्ण रूपसे विरोधाभासी है। नोटरी गजेन्द्रसिंह डीडब्ल्यू–7 ने अपने बयानों में उक्त वसीयत को एडवोकेट गोपाल शर्मा द्वारा तेजसिंह की शिनाख्त की आधार पर तस्दीक करना बताया है। जिरह में डीडब्ल्यू–4 का यह भी कथन है कि वसयी तकी समस्त कार्यवाहीं टाईप व स्टांप धौलपुर से कराई तथा वसीयत की तस्दीक बसेडी में कराई। रामचरण ने अपने बयानों में कहीं पर भी यह कथन नहीं किया है कि उसने तेजसिंह के समक्ष हस्ताक्षर किये है। डीडब्ल्यू–5 होतम जोकि उक्त वसीयत का दूसरा अटेस्टिंग गवाह है, ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि वसीयत की कार्यवाहीं जिस दिन धौलपुर गये थे उसी दिन हो गई। जिस दिन धौलपुर गये थे उसी दिन वसीयत टाईप हो गई थी तथा उसी दिन हम लोगों ने हस्ताक्षर किये थे। दूसरे दिन वह सीधे सीधे अपने गांव चला गया। डीडब्ल्यू–5 का उक्त बयान डीडब्ल्यू–4 रामचरण के बयान से मेच नहीं खाता है जिसमें उसने कथन किया है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	वसीयत की टाईप व स्टांप धौलपुर से कराई। डीडब्ल्यू–5 जिरह में उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है तथा उसका कथन यह प्रदर्शित करता है कि डीडब्ल्यू–5 धौलपुर के बाद बसेडी आया हीं नहीं। ऐसी दशा में बसेडी में वसीयत के तस्दीक बाबत् डीडब्ल्यू–4 के बयानों की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि स्टांप विक्रेता बनवारीलाल से स्टांप दिनांक 27–10–94 को खरीदे गये है तथा वसीयत पर टाईप धौलपुर में की गई है। परंतु उक्त स्टांप विक्रेता व टाईपिष्ट के बयान नहीं कराये गये है। टाईप की तारीख काटी गई है। अमरसिंह डीडब्ल्यू–6 एड0 बसेडी ने अपने बयानों में बताया है कि वसीयत प्रदर्श–1 का ड्राफ्ट मैने नहीं बनाया है–मेरे पास तो टाईप की हुई वसीयत आई थी। उक्त वसीयत पहिले से ही टाईप्ड व हस्ताक्षरित थी। उनका यह जिरह में कथन है कि ''यह बात सही है कि वसीयत प्रदश–1 की लाईन नंबर 30 व 33 में नारायणसिंह काटकर मोहन पेन से लिखा गया है वह मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है। यह बात सही है कि जब वसीयत ड्राफ्ट वाई के हस्ताक्षर हेतु आई उस समय वसीयत प्रदर्श–1 की लाईन नंबर 1 लगायत 44 टाईप थी। यह बात मुझे ध्यान नहीं है कि लाईन नंबर 43 वसीयत में जो नोट लगाया हुआ है वह मेरे हस्ताक्षर की समय था या नहीं। यह बात सही है कि वसीयत प्रदर्श–1 जिस समय मेरे ड्राफ्ट वाई के लिये आई उस समय तक वसीयत पर कोई काटपीट नहीं थी। ड्राफ्ट वाई के हस्ताक्षर होने मेरे पास दिनांक 29–10–94 को सुबह 10 बजे मेरे गांव इन्देकपुरा में आई थी, वहीं मैने ड्राफ्ट वाई हस्ताक्षर किये थे। डीडब्ल्यू–6 के द्वारा पुनः परीक्षण में यह कथन किया है कि मोहनसिंह का नाम उनके द्वारा करेक्ट नहीं किया गया है, यह कथन गलत है कि उनके द्वारा नाम काटकर सहीं किया गया है। उनके द्वारा वसीयत को ड्राफ्ट नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल'' ड्राफ्ट वाई'' पर हस्ताक्षर किये है। अमरसिंह परमार एडवोकेट द्वारा जो बयान उक्त भूमि वसीयत के आधार पर नामांतरकरण की तस्दीक बाबत् दिये गये है, उनको उदृत करना समीचीन होगाः– ''श्री तेजसिंह पुत्र सुखमानसिंह जाति ठाकर ने एक वसीयत नामा दिनांक 29–10–94 को मेरे द्वारा ड्राफ्ट कराई थी जो प्रदर्श पी–1 है और उस पर हस्ताक्षर मार्क मेरे द्वारा किये गये है। मैने ड्राफ्ट व टाईप के बाद यह वसीयत वसीयतकर्ता व गवाहान को पढकर सुनाई थी। सुन व समझकर हस्ताक्षर वसीयतकर्ता द्वारा ''अ–ब'' किये गये व गवाहन के निशानी अंगूठा ''ब–स'' व ''द–प'' है। उक्त सभी द्वारा होश हवास दुरूस्त मेरे समक्ष यह हस्ताक्षर व निशनी अंगूठा किये है।''	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अमरसिंह द्वारा उपखंड अधिकारी न्यायालय में दिये गये बयानों व तहसीलदार के समक्ष दिये गये बयानों में असाधारण विरोधाभास है। उपखंड अधिकारी के समक्ष बयान में उसका कथन है कि वसीयत उसके द्वारा ड्राफ्ट नहीं की गई तथा वसीयत टाईप्ड व हस्ताक्षरित प्राप्त हुई थी। जबकि तहसीलदार के समक्ष बयानों में कथन है कि वसीयत उसके द्वारा ड्राफ्ट की गई तथा मैने ड्राफ्ट व टाईप के बाद वसीयतकर्ता व गवाहान को पढकर सुनाई व उनके हस्ताक्षर करवाये। सभी के द्वारा सुन समझकर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है। इसके विपरीत उपखंड अधिकारी के समक्ष बयान में उनका यह कथन था कि उसके द्वारा तेजसिंह व गवाहन के हस्ताक्षर वसीयत पर नहीं कराये थे। हस्ताक्षर वसीयत पर पहिले से ही हो रहे थे। जिरह में भी डीडब्ल्यू–6 अमरसिंह द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वसीयत पर ए से बी स्थान पर तेजसिंह के मेरे सामने हस्ताक्षर नहीं हुये बल्कि पूर्व से ही हो रहे थे। जिरह में डीडब्ल्यू–6 द्वारा तहसीलदार के समक्ष बयान देना स्वीकार किया तथा प्रदर्श ए–3 की पुष्टि की तथा तहसीलदार के समक्ष दिये गये बयानों पर तहसीलदार द्वारा प्रदर्श–पी–1 डालना स्वीकार किया व पुनः परीक्षण में नाम काटकर मोहनसिंह अंकित करना भी स्वीकार नहीं किया। डीडब्ल्यू–7 नोटेरी गजेन्द्रसिंह के द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया है कि तेजसिंह की पहिचान गोपाल नारायण वकील द्वारा रामचरण गवाह की शिनाख्त के आधार पर की तथा गोपाल नारायण की शिनाख्त के आधार पर ही उनके द्वारा तेजसिंह की वसीयत तस्दीक की है। परंतु रामचरण द्वारा अपने बयानों में धौलपुर के किसी भी वकिल से पहिचान होने से इंकार किया। जिरह में डीडब्ल्यू–7 का यह कथन है कि यह बात मुझे ध्यान नहीं है कि उस समय मैने वसीयत तस्दीक की, उस समय वसीयत में काटपीट बाबत् व ड्राफ्ट वाई अमरसिंह लिखा था या नहीं, मुझे ध्यान नहीं। नोटरी को रेस्पो/प्रतिवादीगण के द्वारा रजिस्टर के साथ तलब नहीं कराया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा दावे एंव जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार करते हुये डिक्री किया है तथा विवादित आराजियात बाबत् प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज करते हुये अपीलांट/वादीया को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। किंतु अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा वसीयत के संदिग्ध होने व धारा 63	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	के प्रावधानों के तहत साबित नहीं होने बाबत् उपखंड अधिकारी के निष्कर्षो से असहमत होने का कोई आधार प्रदर्शित नहीं किया है। उक्त वसीयत में तीन स्थानों पर कटिंग होने व अटेस्टिंग गवाहो तथा अन्य गवाहों के बयानों में आपसी मेल नहीं खाने के बाबत् तथा वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति व पुत्री को उत्तराधिकार से वंचित करने के कारणों बाबत् कोई भी विवेचन नहीं किया है तथा अपने निर्णय के केवल यह अंकन किया है कि रेस्पोडेंट द्वारा फर्जी वसीयत का कथन किया है परंतु सक्षम सिविल न्यायालय में निरस्त कराने की कार्यवाहीं नहीं की गई है तथा यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि रेस्पोडेंट द्वारा वसीयत को निरस्तीकरण की कार्यवाहीं नहीं किये जाने से इस वसीयत को उपखंड अधिकारी द्वारा संदेहास्पद मान कर संदग्धि एवं त्रुटिपूर्ण है। परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1925 की धारा 63 अनुसार सदभावी व संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व वसीयत के लाभार्थी का है।1994 आरआरडी पेज 732 में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के विरूद्ध ऐसी वसीयत को आधार नहीं बनाया जा सकता है जो की अभी सिद्ध होनी है। इसी प्रकार 1975 पीएलजे पेज 201 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत द्वारा प्राकृतिक वारिसान को वंचित करना वसीयत को संदेह के घेरे में रखता है और ऐसी वसीयत का संदेह से परे साबित करने का भार वसीयत के लाभार्थी पर है। इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में वसीयत का लाभार्थी वसीयत को धारा 63 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–05 निरस्त किया जाता है तथा परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी बाडी का निर्णय व डिक्री दिनांक 2–1–03 यथावत रखा जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार की जाकर तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (हरि शंकर गोयल) सदस्य (आर.के.जायसवाल) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए